न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 120/2020

श्री रामधन पुत्र श्री गंगाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री एजाज अहमद कुरैशी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. नायब तहसीलदार अजमेर, पैरोकार सरकार।

–: आदेश :–

दिनांक – 31.07.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2076 में श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामाकिशन, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम सील के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 537/100 में से रकबा 00–10–00 बीघा पर बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार अरांई के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 218/2019 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 14.11.2019 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 14.11.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्याय हित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्धान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित भूमि पर से अपना अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण हटा लेने का निवेदन कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये तथा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अतिक्रमियों द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(2) पेज 858 व R.R.T. 2008(1) पेज 479 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र कि उन्होने वाद ग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया है, प्रस्तुत करने को तैयार है तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। इस तथ्य को अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर सिविल कारावास की सजा को यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। पटवारी हल्का सान्दोलिया की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट के राजकीय भूमि पर पूर्व अतिक्रमी पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर यह तथ्य प्रकट आये हैं कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर पुनः बाड़ लगाकर अवैध कब्जा किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के विरूद्ध नरम रूख अपनाये जाने से ग्राम के अन्य व्यक्तियों को अवैध अतिक्रमण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। तहसीलदार अरांई द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश यथावत रखते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा यथावत रखी जाती है।

आदेश आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(लोकेश कुमार मौतम)
अपर कलक्टर
अजमेर

(लोकेश कुमार मौतम)
अपर कलक्टर
अजमेर